रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 432] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 28 1972/आश्विन 6, 1894

No. 432] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 28, 1972/ASVINA 6, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

ORDERS

New Delhi, the 28th September 1972

S.O. 630(E).—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of North, South and West Jhagrakhand Collieries, Post Office Jhagrakhand Collieries, District Surguja (Madhya Pradesh) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

1. "Whether the demand of the workmen of North, Sout hand West Jhagrakhand Collieries of Jhagrakhand Group of Collieries, Post Office Manendragarh, District Surguja (Madhya Pradesh) that the management should not allocate the work of drawing of cables, helping of the dealers and other ancillary duties to miners on payment of four paise per tub is justified? If so, to what relief are the min[illegible] entitled to and with effect from what date?

2. Whether the demand of the workmen of North, South and West Jhagrakhand Collieries of Jhagrakhand Group of Collieries, Post Office Manendragarh, District Surguja (Madhya Pradesh) for placing Shri Nandlal Prasad Gautam, Line Mazdoor of South Jhagrakhand Colliery in Category IV of the recommendations of the Coal Wage Board is justified? If so, with effect from what date?"

[No. L/22011/27/72-LRII-(i).]

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1972

का० आ० 630(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में उत्तर, दक्षिण और पश्चिम झगड़ाखण्ड कोलियरियों, डाक घर झगराखण्ड कोलियरी, जिला सुर्गुजा (मध्य प्रदेश) के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ।

और यत: केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है ।

अत:, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7–क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

1. "क्या कोलियरियों ने झगराखण्ड समूह की उत्तर, दक्षिण और पश्चिम झगराखण्ड कोलियरियों, डाकघर मनेन्द्रगढ़, जिला सुर्गुजा (मध्य प्रदेश) के श्रमिकों की ये मांग की प्रबन्धकों द्वारा खनिकों को केवल खींचने, डीन्गरों की सहायता करने और चार पैसे प्रति टब की दर से अन्य अनुषंगी प्रकार के कार्य नही दिये जाने चाहिये, न्यायोचित है ? यदि हां, तो खनिक किस अनुतोष के और किस तारीख से हकदार है ?

2. कोलियरियो के झगराखण्ड समूह की उत्तर, दक्षिण और पश्चिम कोलिरियो डाकघर मनेन्द्रगढ़, जिला सुर्गुजा (मध्य प्रदेश) के श्रमिकों की श्री नन्द लाल प्रसाद गातम लाइन मजदूर, दक्षिण झगराखण्ड कोलियरी, को कोयला मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के वर्ग 4 मे रखने की माग न्यायोचित है ? यदि हां, तो किस तारीख से ?"

[संख्या एल/22011/27/72–एल० आर०–2 (i)]

S.O. 631(E).—Whereas by an order of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. L/22011/27/72-LRII, dated the 28th September, 1972, an industrial dispute between the employers in relation to the management of North, South and West Jhagrakhand Collieries, Post Office Jhagrakhand Colliery, District Surguja (Madhya Pradesh), and their workmen has been referred to the Industrial Tribunal Jabalpur for adjudication;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 10 of the Industrial District Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby prohibits the continuance of the strike in existence in the said collieries in connection with the said dispute.

[No. L/22011/27/72-LRII-(ii).]

KARNAIL SINGH, Under Secy.

का० आ० 631(अ) —यतः उत्तर, दक्षिण और पश्चिम झगराखण्ड कोलियरियों, डाकघर झगराखण्ड कोलियरी, जिला सुर्गुजा (मध्य प्रदेश) के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान औद्योगिक विवाद को भारत के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) के आदेश संख्या एल/22011/27/72–एल० आर०–2, दिनांक 28 सितम्बर, 1972 द्वारा औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित किया गया है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त कोलियरियों में उक्त विवाद से सम्बन्धित हड़ताल को जारी रखना निषिद्ध करती है।

[सं० एल/22011/27/72–एल० आर०–2 (ii)]

करनेल सिंह, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972